रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 1987/चैत्र 3, 1909
No. 128] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 1987/CHAITRA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1987

सं. 136/87-सीमाशुल्क

का. आ. 236(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में, रायगढ़ जिले के पणवेल तालुका में शेवा को भंडागार स्टेशन घोषित करता है ।

[फा. सं. 474/20/86-सीमा शु.-VII]

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th March, 1987

NO. 136/87-CUSTOMS

S.O. 236(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Sheva in Panvel Taluka of District Raigad in the State of Maharashtra to be a warehousing station.

[F. No. 474/20/86-CUS. VII]

सं. 137/87-सीमाशुल्क

का. आ. 237(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 408/86–सीमाशुल्क, तारीख 16 अगस्त, 1986 को अधिक्रांत करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तपुर जिले में चिलामाथुर मंडल में कोडुर ग्राम के मोराम्पल्ली हेमलेट को, शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की स्थापना के प्रयोजनों के लिए भांडागार केन्द्र घोषित करता है।

[सं. 474/24/86-सीमा शुल्क-VII]

एम. माइकल, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

No. 137/87-CUSTOMS

S.O. 237(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Central Board of Excise and Customs No. 408/86-CUSTOMS, dated the 16th August, 1986, the Central Board of Excise and Customs hereby declares Morampalli hamlet of Kodur Village of Chilamathur Mandal in District Anantapur in the State of Andhra Pradesh to be a warehousing station for the purposes of setting up of hundred per cent export-oriented undertakings.

[F. No. 474/24/86-CUS. VII]

M. MICHAEL, Under Secy.,

Central Board of Excise and Customs

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

15.6.87

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1987/चैत्र 5, 1909
No. 129] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1987/CHAITRA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय

(पर्यावरण वन तथा वन्यजीव विभाग)

नई, दिल्ली 26 मार्च, 1987

शुद्धिपत्र

का. आ. 238(अ):—भारत सरकार के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के पर्यावरण वन तथा वन्यजीव विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 83(अ) तारीख 16 फ़रवरी, 1987 में "धारा 10 की उपधारा (1)" के स्थान पर

"पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 10 की उपधारा (1)" पढ़ें।

[सं. 1(18)/86-पी एल]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

New Delhi, the 26th March, 1987

CORRIGENDUM

S.O. 238(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forests and Wildlife No. S.O. 83(E) dated the 16th February, 1987 for "sub-section (1) of Section 10", read "sub-section (1) of section 10 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)".

[No. 1(18)/86-PL]

शुद्धिपत्र

का. आ. 239(अ):—भारत सरकार के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 84(अ) तारीख 16 फ़रवरी, 1987 में "धारा 11 की उपधारा (1)" के स्थान पर "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 11 की उपधारा (1)" पढ़ें।

[सं. 1(18)/86-पी. एल.]

ति. ना. शेषन, सचिव

CORRIGENDUM

S.O. 239(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forests and Wildlife No. S.O. 84 (E) dated the 16th February, 1987 for "sub-section (1) of Section 11", read "sub-section (1) of section 11 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)".

[No. 1(18)/86-PL]
T. N. SESHAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987